भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2287

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

2287. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद का कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल घोटालों में फंसा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है/ किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): तेलंगाना में राज्य सरकार द्वारा संचालित ईएसआईसी अस्पतालों के लिए दवाइयों की खरीद में विसंगति पर छपे एक समाचार लेख और इसके परिणामस्वरूप समाचार-पत्र में प्रकाशित एक अधिकारी की गिरफ्तारी की सूचना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), नई दिल्ली को दी गई है।

(घ): ईएसआईसी समय-समय पर, सामान्य वित्तीय नियमों के अनुपालन सहित ईएसआईसी दर संविदा/ राज्य संविदा के माध्यम से दवाओं की खरीद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को दिशानिदेश जारी करता है।

******